an>

Title: Regarding Providing compensation to farmers in time for their damaged crops due to Natural Calamities.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : उपाध्यक्ष जी, कल भी किसानों की बदहाली के ऊपर शून्य काल में काफी चर्चा हुई थी। कृÂिा प्रधान भारत का किसान खेती से भरपूर मेहनत करके, भारतीय मानव के लिए अनाज पैदा करता है। किसान को फसल चक्र में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं का भय बना रहता है। यदि प्राकृतिक आपदाओं से खेती नÂट होती है, तो इसका पीड़ादायक खामियाजा किसान, उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है। वित्तीय दुर्दशा के कारण किसान एवं उसके परिवार की जीवनी नरक बन जाती है। इन्सान कितना भी बड़ा हो, वह आखिर थाली में ही रोटी खाता है। रोटी बिना इन्सानी जीवन को समाप्ति का डर रहता है। फसल दुर्दशा तथा सूखे की स्थिति में देश को बाहरी देशों से अनाज आयात करना पड़ता है। आयात शुल्क का खर्चा देखें तो महसूस होता है कि हम इतना किसान व खेती में स्थाई सहायता प्रबंधन नीति बनाकर किसान को सालाना देते रहते तो देश के आयात शुल्क के तौर पर सालाना खर्चे में काफी बचत होती। किसान से स्थाई तौर पर खुश रहने से उनकी आत्महत्याएं भी रुकेंगी। सुझाव के तौर पर निशुल्क बीज-खाद-दवाइयां किसान को फसल बोने से लेकर उत्पादन तक तालिका समय बनाकर ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम स्तर पर पारदर्शी वितरण प्रणाली से स्थाई सहायता प्रदान की जाए। जिससे किसान दुर्दशा पर सहायता, फसल दुर्दशा पर सहायता, आयात शुल्क का सालाना खर्च काफी मात्रा में बचाया जा सकता है। सूखा व फसल दुर्दशा पर बीज, खाद और दवाई खर्च से किसान परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि वह सरकारी खर्चे से मिलेगी। किसान पर इससे वित्तीय बोझ नहीं रहेगा और ऋण चक्कर से किसान मुक्त हो जाएगा। इससे किसान आत्महत्याएं रुकेंगी। यह वितरण हमेशा बारिश से पूर्व अर्थात, प्रति वÂान 1 मई से 25 मई के दौरान किया जाना चाहिए। वितरण विलंब पर स्थानीय जिलाधिकारी, तहसीलदार और स्थानीय कृÂिा आयुक्त पर जवाबदेही कायम की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: You have asked for taking action against officers concerned who are responsible.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You come to the point. I tell you, you have to specify it within a minute; do not narrate everything. Just say what you want.

...(*Interruptions*)